पत्रिका

एनएच जाम करने वालों की लग्जरी कारें जब्त क्यों नहीं की : हाईकोर्ट

कट मारते हुए लहराकर चला रहे थे कार, 6 चालकों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना

लगातार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राज्य शासन को जवाब देने के आदेश दिए

बिलासपुर. शहर में कुछ रसूखदारों के घर के लड़कों द्वारा लग्जरी कारों को खड़ी कर नेशनल हाईवे जाम करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति की है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडी गुरू की डिवीजन बेंच ने पूछा कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। नई कार खरीद कर कुछ रसूखदार लड़कों ने रील्स बनाने के लिए तीन दिन पहले नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। ड्रोन कैमरे से वीडियो शूट कर नई कार खरीदने का सड़क को घेरकर जश्न भी मनाया।

बिगड़ैल रईसजादों ने एनएच पर मनाया था कार खरीदने का जश्न

इस दौरान सड़क पर लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई के बजाय सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया।

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। सोमवार को उन्होंने हाईवे जाम करने वाली गाड़ियों को जब्त न करने और मामूली कार्रवाई पर नाराजगी जताई। इस मामले में राज्य शासन के संबंधित अधिकारियों को शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा है।

यह है मामला

रतनपुर रोड पर एक के बाद एक 6 कारों को खतरनाक ढंग से लहराते हुए चलाने और सड़क जाम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसएसपी रजनेश सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी एएसआई केके मरकाम और स्टाफ ने सभी गाड़ियों पर 2-2 हजार रुपए का चालान किया।

न नाम न गाड़ी नंबर, मामले को दबाने का आरोप

कार्रवाई के दौरान इस मामले को दबाने के आरोप भी पुलिस पर लगे, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेकर कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने आई कि एडिशनल एसपी ने इन 6 रईसजादों के न नाम बताए और न ही उन गाड़ियों के नंबर बताए। चालानी कार्रवाई के अनुसार जिन पर कार्रवाई हुई, उनमें वेदांश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा, अभिनव पांडेय शामिल हैं।

22/07/2025 | Bilaspur | Page : 11
Source : https://epaper.patrika.com/